न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– रवि जैन
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 197 / 2018

डॉ.जितेन्द्र सिहं पुत्र लक्ष्मण सिहं निवासी ग्राम सुलताना वार्ड नम्बर 17 तहसील चिड़ावा पिन 333028

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (प्रबन्धक) केन्द्रीय सहकारी बैंक झुंझुनू।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 04.02.2019

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 20.12.2018 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 197 / 2018 पर दिनांक 24.12.2018 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (प्रबन्धक) केन्द्रीय सहकारी बैंक झुंझुनू के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (प्रबन्धक) केन्द्रीय सहकारी बैंक झुंझुनू को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (प्रबन्धक) केन्द्रीय सहकारी बैंक झुंझुनू से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2018 / 2769–70 दिनांक 24.12.2018 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (प्रबन्धक) केन्द्रीय सहकारी बैंक झुंझुनू ने पत्रांक जेकेएसबी / फा.( ) / प्रशा. / 2018–19 / 4200 दिनांक 21.01.2019 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा आरटीआई 2005 के अन्तर्गत पूर्व में दिनांक 09.11.2018 को सूचना हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसके संबंध में बैंक के रजिस्टर्ड पत्र कमांक 3547 दिनांक 14.11.2018 के द्वारा सूचित कर दिया गया था कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार बैंक सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी नहीं है तथा मूल आवेदन पत्र वापिस लौटा दिया गया था। माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर द्वारा अपील संख्या 76 / 2017 दिनांक 08.05.2017 श्री सुरेश चन्द्र बुलानी बनाम राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं प्रबन्ध निदेशक सैन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कोटा एवं अपील संख्या 3409 / 2012 दिनांक 04.12.2013 श्री अनिल कुमार सिसोदिया बनाम सचिव, भूमि विकास बैंक चित्तोड़गढ़ के निर्णयादेश के अन्तर्गत सूचना चाहने के संबंध में अपील खारीज की गयी है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार बैंक सूचना के अधिकार अधिनियम में अन्तर्गत लोक प्राधिकरण नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु दिनांक 23.01.2019 उपस्थित। अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे द्वारा दिनांक 09.11.2018 को सूचना का अधिकार के तहत आवेदन (प्रबन्धक) केन्द्रीय सहकारी बैंक शाखा झुंझुनू में लगाया गया। जिसकी शाखा में जबाब में अवगत करवाया गया की उक्त बैंक आरटीआई प्रावधानों के अनुसार लोक प्राधिकारी नहीं है। जबकि मेरी जानकारी के अनुसार यह बैंक आरटीआई अधिकार क्षैत्र में आता है। अतः आप मुझे आरटीआई में चाही गई सूचना दिलावानें की कृपा करें।
6. लोक सूचना अधिकारी (प्रबन्धक) केन्द्रीय सहकारी बैंक झुंझुनू द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा आरटीआई 2005 के अन्तर्गत पूर्व में दिनांक 09.11.2018 को सूचना हेतु आवेदन उनके कार्यालय में प्रस्तुत किया गया था, जिसके संबंध में बैंक के रजिस्टर्ड पत्र कमांक 3547 दिनांक 14.11.2018 के द्वारा सूचित कर दिया गया था कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार बैंक सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी नहीं है तथा मूल आवेदन पत्र वापिस लौटा दिया

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

गया था। माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर द्वारा अपील संख्या 76/2017 दिनांक 08.05.2017 श्री सुरेश चन्द्र बुलानी बनाम राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं प्रबन्ध निदेशक सैन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कोटा एवं अपील संख्या 3409/2012 दिनांक 04.12.2013 श्री अनिल कुमार सिसोदिया बनाम सचिव, भूमि विकास बैंक चित्तोड़गढ़ के निर्णयादेश के अन्तर्गत सूचना चाहने के संबंध में अपील खारीज की गयी है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार बैंक सूचना के अधिकार अधिनियम में अन्तर्गत लोक प्राधिकरण नहीं है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।

7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 04.02.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि जैन)
जिला कलक्टर, झुंझुनू
जिला कलेक्टर झुन्झुनू